रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1410] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 12, 2019/चैत्र 22, 1941
No. 1410] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 12, 2019/CHAITRA 22, 1941

indiacode

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

(कोफेपोसा स्कंध)

आदेश

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2019

का.आ. 1589(अ).—जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974(1974 का 52) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप-धारा के तहत दिनांक 08.01.2019 को पीडी-12002/24/2018-कोफेपोसा के तहत जारी आदेश में यह निदेश दिया गया था कि सुश्री हुसैनी मर्यम सुपुत्री श्री महमूद, निवासी पलक-97, खयालाम पुलिस, कलीम केशरी, गली/कूचा-इश्फांदियार, तेहरान, ईरान को हिरासत में ले लिया जाए और मंडोली कारागार परिसर, नई दिल्ली-110093 में रखा जाए ताकि भविष्य में उन्हें माल की तस्करी करने, तस्करी का माल लाने-ले-जाने तथा निषिद्ध माल का धंधा करने से रोका जा सके।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश का तामील न किया जा सके।

3. अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से सात दिन के अंदर वह पुलिस आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सामने उपस्थित हो।

[फा. सं. पीडी-12002/24/2018-कोफेपोसा]

रवि प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

(COFEPOSA WING)

ORDER

New Delhi, the 12th April, 2019

S.O. 1589(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued Order No. PD-12002/24/2018-COFEPOSA dated 08.01.2019 under the said sub-section directing that Ms. Hosseini Maryam, D/o Shri Mahmood, R/o Palak-97, Khayalam- Police, Kaleem Keshari,, Street/Koocha – Ishfandiyar, Tehran, Iran be detained and kept in Mandoli Prisons Complex, New Delhi -110093, with a view to preventing her from smuggling goods and engaging in transporting or concealing or keeping smuggled goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing herself so that the Order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Govt. of NCT, Delhi within 7 days of the publication of this Order in the Official Gazette.

[F.No. PD-12002/24/2018-COFEPOSA]

RAVI PRATAP SINGH, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.04.12 21:25:43 +05'30'